निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
121 / 2021	21.1.2021	19\01\26

जगन्नाथ पुत्र रामभरोसी, गौड ब्राह्मण निवासी वजीरपुर ——प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र मिश्रीलाल, गौड ब्राह्मण निवासी वजीरपुर
2. ताराशंकर पुत्र स्व0 महादेव, सुनार निवासी वजीरपुर
3. राजू पुत्र स्व0 महादेव, सुनार निवासी वजीरपुर
4. मदन पुत्र स्व0 महादेव, सुनार निवासी वजीरपुर
5. गोपाल पुत्र स्व0 महादेव, सुनार निवासी वजीरपुर
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री अशोक शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से
श्री सतीश चन्द शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 2 ता 5 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख0नं0 2952 रकबा 0.18 है0 व ख0नं0 2953 रकबा 0.08 है0 ग्राम वजीरपुर में स्थित है। यह भूमि ग्राम वजीरपुर की राजस्व सीमा के पूर्वी भाग के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले आम रास्ते में से प्रार्थी की भूमि को जाने वाला एकमात्र लगभग 12 फीट चौडा रास्ता पूर्व की ओर अपनी भूमि तक जाता है। यह रास्ता बाबूलाल पुत्र मिश्रीलाल की खातेदारी की भूमि ख0नं0 2946 के बीच से जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ख0नं0 2946 की भूमि अलग अलग भूखण्डो में बांट कर कुछ समय पूर्व वजीरपुर व आसपास के गांव के व्यक्तियों को प्रार्थी की भूमि को जाने वाले 12 फीट रास्ते को छोडकर बेच दिए थे। यह तथ्य अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अलग अलग भूखण्डो में बेची गई अलग अलग लोगों को विक्रय पत्र स्टाम्पों से भी साबित है कि [illegible] द्वारा भूखण्ड रास्ता छोडकर ही बेचे गए थे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा [illegible] गए अधिकांश भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के पिता स्व0 महादेव सुनार ने खरीद लिए और कि कथित भूमि के पश्चिम की ओर दोनों तरफ [illegible] है। स्व0 महादेव सुनार की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने प्रार्थी की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:24:39 IST
Reason: SelfAttested

को जाने वाले एकमात्र रास्ते को कब्जा करके रोक दिया। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त कथित प्रार्थी के खेत को जाने वाली रास्ते की भूमि पर कब्जा किए जाने से प्रार्थी के खेत की उपयोगिता नष्ट हो गई व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी से जाने वाले 12 फीट चौडे रास्ते से वंचित हो गया है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि ख0नं0 2946 में से 12 फीट चौडा रास्ता पाने का अधिकारी है एवं 12 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थी की भूमि में से देने बाबत् प्रार्थी उक्त भूमि का डी0एल0सी0 रेट पर माकूल रूपया देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 5 का रास्ते से गैरकानूनी कब्जा हटाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि ख0नं0 2946 रकबा 0.17 है0 में से प्रार्थी की कृषि भूमि ख0नं0 2952 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 2953 रकबा 0.08 है0 में जाने के लिए 12 फीट चौडा रास्ता को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थी संख्या 6 लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर से प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 2952 रकबा 0.18 है0 एवं ख0नं0 2953 रकबा 0.08 है0 वजीरपुर में स्थित है एवं ये दोनों खसरा नम्बर मेरे खसरा नम्बर 2946 के सटवां है। जब जबाबदार ने अपनी भूमि पर जो भूखण्ड काटे थे, उनका 12 फीट चौडा रास्ता भूमि ख0नं0 2946 में होकर भूमि ख0नं0 2952 एवं ख0नं0 2953 तक जाता था। यही 12 फीट रास्ता सारी कोलोनी की सुविधानुसार कोलोनीवासियों के उपयोग उपभोग व आने जाने के लिए छोडा गया था। उक्त रास्ते को प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पूर्वज भी खेतो में आने जाने के लिए उपयोग करते थे। जब जबाबदार ने आवासीय भूखण्ड विक्रय किए थे तब तक 12 फीट चौडा रास्ता कायम था लेकिन बाद में भूखण्ड खरीदने वालों ने अपनी अपनी सुविधानुसार अपने अपने भूखण्ड में मिला लिया है एवं उक्त रास्ते को रोक दिया है एवं रास्ते पर अतिक्रमण कर दरवाजा लगाकर बंद कर दिया है। मौके पर स्थित अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 व 5 के खरीदशुदा भूखण्डों को नाप कर एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बेचे गए भूखण्डो को नाप कर ली जावे तो 12 फीट चौडा रास्ता निकल जावेगा। अतः जबाब प्रस्तुत है।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी की भूमि ख0नं0 2952 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 2953 रकबा 0.08 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:24:39 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम वजीरपुर में स्थित है। यह भूमि काश्त के लिए काम नहीं आती है बल्कि यह सम्पूर्ण भूमि आवासीय भूमि के रूप में काम में ली जा रही है तथा मौके पर पिछले कई वर्षो से काश्त नहीं हो रही है। इस भूमि के चारो ओर सघन आबादी है। अप्रार्थी बाबूलाल की भूमि ख0नं0 2946 में होकर कोई 12 फीट चौडा रास्ता नहीं है और न ही कभी कोई रास्ता रहा है। रास्ते वाली बात प्रार्थी की केवल मनगढन्त कहानी है। ख0नं0 2946 में होकर कभी भी कोई 12 फीट रास्ता प्रार्थी की भूमि तक नहीं छोडा गया। अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता रोके जाने की बात सही नहीं है बल्कि सही बात यह है कि स्व0 महादेव द्वारा खरीद की गई भूमि पर पिछले 30 वर्षो पूर्व ही आवासीय मकान बना लिया था एवं तभी से अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 इस भूमि में बने मकान में निवास करते आ रहे हैं। जब स्व0 महादेव ने अपनी खरीदशुदा भूमि ख0नं0 2947 पर जब मकान बनाया था तब प्रार्थी वजीरपुर में ही निवास करता था। प्रार्थी की किसी भी भूमि का कोई रास्ता कभी भी नहीं रोका गया और न ही कब्जा किया गया, प्रार्थी की भूमि को आने जाने का रास्ता प्रार्थी की भूमि ख0नं0 2952, 2953 के पूर्व दिशा में होकर रहा है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थी ने एक लोहे का गेट करीब 10–12 फीट का लगा रखा है जिसके पूर्व दिशा में उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला आम रास्ता करीब 18 फीट चौडा है तथा यह आम रास्ता वजीरपुर–परीता रोड तक जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की भूमि में या ख0नं0 2946 में से प्रार्थी का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की भूमि के पूर्व दिशा में एवं प्रार्थी की भूमि के पश्चिम दिशा के बीच में 3 फीट गली शुरू से ही रही है जिसकी जानकारी प्रार्थी को भलीभांति है किन्तु प्रार्थी ने जानबूझकर इस गली का जिक्र नहीं किया है। प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि ख0नं0 2947 एवं भूमि ख0नं0 2946 में होकर कोई रास्ता पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी अपनी भूमि के पूर्वी दिशा में बने गेट एवं उसके सामने से निकल रहे 18 फीट चौडे आम रास्ते में से आसानी से आ–जा रहा है। नजरी नक्शे में नीले रंग से प्रदर्शित भूमि 3 फीट चौडी शामलाती गली है जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 ता 5 के मध्य की भूमि है। प्रार्थी की भूमि ख0नं0 2952, 2953 अप्रार्थी सं0 2 ता 5 के पिता स्व0 महादेव सोनी द्वारा खरीदशुदा भूमि ख0नं0 2947 के मध्य करीब 6 फीट ऊंचाई की पक्की दीवार मौके पर 30 वर्ष पुरानी बनी हुई है जो नजरी नक्शे में नीले रंग से प्रदर्शित की गई है। अप्रार्थीगण को बेवजह परेशान करने के लिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:24:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 162, नकल जमाबंदी सं0 2076 से 2079 खाता संख्या 294, नकल नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा प्रस्तुत किए हैं।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने अपने जबाब के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार वजीरपुर ने उनके कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2025/34 दिनांक 14.11.2025 से अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुसार बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार वजीरपुर के पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/34 दिनांक 14.11.2025 के साथ प्राप्त भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत जबाब व नजरी नक्शा से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कृषि कार्य में उपयोग में नहीं ली जा रही है बल्कि आवासीय प्रयोग में आ रही है जबकि धारा 251(ए) आर0टी0एक्ट में कृषि भूमि के लिए ही रास्ता दिए जाने का प्रावधान है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 251(ए) आर0टी0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/1/26 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:24:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर